न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1333/2004/भरतपुर

1. हटीला
2. रामजीलाल
3. भूदेव

–पुत्रगण मटोली जाति माली निवासीगण कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर

....अपीलांट्स/प्रतिवादीगण

बनाम

मु0 सरबती बेवा चन्दन जाति माली निवासी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर

....रेस्पोन्डेन्ट/वादी

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री ओ0एल0दवे, अधिवक्ता, अपीलांट्स।
श्री मुकेश जैन, अधिवक्तागण, रेस्पोडेंट।

निर्णय

दिनांकः– 04–07–2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं. 165/2002 में पारित

निर्णय दिनांक 03-03-2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर वैर के समक्ष रेस्पोडेन्ट/वादी ने दिनांक 25-09-1986 को एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के अंतर्गत ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील वैर स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 109 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 114 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, 116 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद का वादिनी ने दिनांक 04-11-1986 को संशोधित वाद पत्र पेश किया। उक्त संशोधित वाद का दिनांक 05-07-1995 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वादी के वाद को मय खर्चे के खारिज करने का निवेदन किया। उक्त जवाबदावे का वादिनी ने दिनांक 24-09-1999 को जवाऊल जवाब पेश किया। कालान्तर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने भी दिनांक 02-07-1996 को संशोधित जवाबदावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 29-07-1995 को दावे व जवाबदावे के आधार पर वाद में अनुतोष सहित 5 विवाद्यक कायम किए। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने संशोधित जवाबदावे के अनुसार अतिरिक्त तनकी संख्या 6 व 7 निर्मित्त की। विचारण न्यायालय विवाद्यक संख्या 6 पर अपना निर्णय आधारित करते हुए आदेशिका दिनांक 26-09-2002 पारित करते हुए वाद वादिनी विरूद्ध प्रतिवादीगण धारा 11 सीपीसी रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होना मानते हुए खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध वादिनी ने अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 03-03-2004 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर सहायक जिला कलक्टर वैर का निर्णय दिनांक 26-09-2002 को निरस्त करते हुए प्रकरण को विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि वाद में निर्धारित सभी

बिन्दुओं का एक साथ निर्णय पारित करें तथा दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर इसका निस्तारण छह माह में करें। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 03-03-2004 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की अपील के संबंध में बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स/प्रतिवादीगण ने बहस में कहा कि प्रकरण में राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 12-07-2002 पारित करते समय उनके समक्ष यह तथ्य आया था कि रेस्पोडेन्ट का पति एक वर्ष के लिए साझीदार रहा था और साझीदार को काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (43) में टीनेंट नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा लगान देय नहीं होता है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय 1986 आरआरडी पेज 546 जिसमें न्यायमूर्ति ने रामचन्द्र बनाम राजस्व मण्डल में उपरोक्त वर्णित सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया था। उक्त न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में वादिनी किस आधार पर वाद लाई है, उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ के निर्णय दिनांक 12-07-2002 के अनुसार वादिनी के वाद में और कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर तनकी संख्या 6 अपीलान्ट/प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई। उनका आगे कहना है कि वादिनी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करती है कि राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 12-07-2002 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चाराजोही कर रखी है जहां प्रकरण लम्बित है, ऐसी स्थिति में जब तक माननीय उच्च न्यायालय से कोई अन्तिम आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त प्रकरण में लागू होता है। इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि हां यदि राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय को यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया जाता तो ऐसी स्थिति में वादिनी चाराजोही कर सकती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो

कि तब तक राजस्व मण्डल के निर्णय का प्रभाव पूर्ण रूप से है। इस तथ्य को समझने में अपीलीय न्यायालय ने गलती है। इस कारण अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03-03-2004 को अपास्त किया जाकर सहायक जिला कलक्टर वैर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-09-2002 को बहाल रखे जाने की प्रार्थना की है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में एआईआर 1987 एससी 88, 2002 आरआरडी 506, 1986 आरआरडी 546, 1985 आरआरडी 247 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए।

5. रेस्पोडेंट/वादी के अधिवक्ता ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का घोर विरोध करते हुए आलोच्य निर्णय को तर्कसंगत, न्यायसंगत एवं विधिसम्मत कहा है। बहस के दौरान उनका कहना है कि विचारण न्यायालय ने उनके वाद को धारा 11 सीपीसी के तहत बाधित मानकर खारिज किया है, जबकि उनके द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 19 (1)-एए के तहत खातेदारी प्रदान करने के लिए पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार रेकार्ड में सहखातेदार शिकमी दर्ज होने पर उसे उक्त स्टेट्यूट विधि के तहत प्रार्थना पत्र दिया था, जबकि विचारण न्यायालय ने उसे नियमित दावा मानकर खारिज किया है। उनका आगे कहना है कि समरी प्रोसीडिंग्स नियमित दावे में बाधक नहीं मानी जाती है। उनका आगे कहना है कि नियमित वाद में वाद के बाद जवाबदावा, तनकियात बनाई जाकर साक्ष्य लिए जाने के उपरान्त निर्णय पारित किया जाता है। वहीं रेसज्यूडिकेटा में कानून तथा तथ्यों का समिश्रण होता है। इसके अतिरिक्त समरी प्रोसीडिंग्स के प्रकरण में नियमित वाद की तरह विचारण नहीं किया जाता है। उनका कहना है कि उक्त समरी प्रोसीडिंग्स के प्रकरण का अन्तिम निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक नहीं किया है। अतः मामला लम्बित होने की स्थिति में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। उनका तर्क है कि धारा 19 (1)-एए में एक

विशेष उपचार है, जिसके तहत कोई शिकमी काश्तकार सम्वत 2026 की जमाबंदी में दर्ज है तो केवल जमाबंदी के इन्द्राज के आधार पर उक्त प्रावधान के तहत अनुतोष दिया जा सकता है। जबकि नियमित वाद में पूर्ण विचारण के बाद दस्तावेजों की प्रासंगिकता की विधि के अनुसार व्याख्या की जाती है। सांराशतः मामले में विचारण न्यायालय ने उनके वाद को समरी प्रोसीडिंग्स के प्रकरण तहत रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित मानने में गलती की है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उसे अपास्त करने में अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। सारांशतः आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को अपास्त कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. रेकार्ड से प्रकट होता है कि विवादित आराजियात के क्रम में वादिनी/रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश किए वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 को विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर वैर ने धारा 11 रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होना मानते हुए आज्ञा दिनांक 26-09-2002 द्वारा खारिज किया है। प्रश्नगत द्वितीय अपील पूर्व-न्याय (रेसज्यूडिकेटा) के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय को अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त करने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। सम्बन्धित प्रावधान निम्न प्रकार हैः-

> "Res judicata - No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been

directly and substantially in issue in a former suit between the **same parties**, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the **same title**, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court."

उपरोक्त प्रावधानान्तर्गत समान पक्षकार के मध्य प्रकरण निर्णित होने की स्थिति में उसी के सम्बन्ध में पुनः वाद का विचारण नहीं किया जा सकता है। उपलब्ध विधिक प्रावधानों के अनुसार समरी प्रोसीडिंग्स के प्रकरण का विचारण एक नियमित वाद की तरह नहीं किया जा सकता है। जबकि वादिनी का वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा के संबंध में। इस सम्बन्ध में हमने प्रश्नगत प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय ने वादिनी के वाद को तनकी संख्या 6 को आधारित करते हुए पूर्व–न्याय के सिद्धान्त से बाधित होना मानकर अपास्त किया है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्मित्त तनकी संख्या 6 निम्नानुसार हैः–

> **''संशोधित जवाबदावा की खण्ड संख्या 15 के अनुसार दावा वादिनी का रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है, इस बिनाय पर वाद वादिनी मेन्टेबल नहीं है''।**

अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति से यह सम्यक रूप से स्पष्ट है कि पूर्व प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 19 (1) (एए) के तहत पेश होने के कारण उसका समरी प्रोसीडिंग्स के तहत विचारण हुआ था। इसके विपरीत वादिनी का हस्तगत मूल वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का होने के कारण हम विचारण न्यायालय के इस मत से सहमत नहीं है कि वादिनी का वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित है। समरी प्रोसीडिंग्स के प्रकरण का विचारण अलग रीति–नीति से किया जाता है, जबकि नियमित वाद का विचारण वाद पेश होने पर प्रतिवादी से जवाबदावा लिया जाकर उसके आधार पर तनकी निमित्त की जाती है तथा निर्मित्त की गई तनकियों को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों की व्याख्या करते हुए निर्णय पारित किए जाना प्रावधित है। अतः समरी प्रोसीडिंग्स की विषयवस्तु भी प्रत्यक्षतः एवं

वाद सम्बन्धी सारभूत विषय भी भिन्न है। अभिप्राय यह है कि नवीन प्रकरण में न तो अनुतोष समान थे, अपितु नवीन वाद भिन्न वाद हेतुक पर आधारित होकर वादिनी के विरूद्ध पूर्व–न्याय के सिद्धान्त के आधार पर स्थगित करने योग्य नहीं है।

8. यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि वादिनी द्वारा पूर्व में पेश समरी प्रोसीडिंग्स का प्रकरण जो कि वर्तमान स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित होना पक्षकारान द्वारा कथित किया है, उसके निर्णय का प्रभाव वादिनी के घोषणा के वाद के संबंध में वर्तमान परिस्थिति पर पडना प्रकट नहीं होता है। सारांशतः वादिनी के मूल वाद में विचारण न्यायालय ने जो आज्ञा दिनांक 26–09–2002 पारित की है, वह विधि के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने के कारण उसका समर्थन करने का कोई ठोस कारण हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। निष्कर्ष यह है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अन्तर्गत प्रकरण को स्थगित नहीं कर वादिनी के वाद में प्रदत्त निर्णय 26–09–2002 को अपास्त कर पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है।

9. अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपने पक्ष के समर्थन में जिन विधिक विनिश्चयों को प्रस्तुत किए हैं। उनमें प्रतिपादित सिद्धान्त से हम पूर्णतया सहमत है, परन्तु उक्त निर्णयों में समान पक्षकार व एक ही भूमि होने की स्थिति में लागू होते है। प्रश्नगत प्रकरण में समान पक्षकार जैसी स्थिति नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष वादिनी द्वारा कभी भी वाद प्रस्तुत कर निर्णय प्राप्त नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त से हम सहमत नहीं हैं।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपीलान्ट्स यह स्पष्ट करने में पूर्णतया असमर्थ रहे है कि पूर्व–न्याय (रेसज्यूडिकेटा) का सिद्धान्त नवीन घोषणा के वाद को प्रभावित करता है। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन/बलहीन है।

11. परिणामतः द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03-03-2004 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य